फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

केस संख्या :– 93/2020

रामनाथ **बनाम** सरकार

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.12.2020	तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा पत्र कमांक/भू0अ0/4861 दिनांक 15.12.2020 के द्वारा प्रार्थना पत्र रामनाथ पुत्र श्रवण मीना निवासी खेडा जगन्नाथपुरा का नाम शुद्धि का भिजवाया गया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थी रामनाथ पुत्र श्रवण मीणा ने ग्राम लक्ष्मीपुरा, खेडा जगन्नाथपुरा एवं बाढ मूरलीपुरा की राजस्व जमाबन्दी में नाम लौहदया पुत्र श्रवण मीना गलत दर्ज के स्थान पर रामनाथ पुत्र श्रवण मीना किये जाने हेतु पटवारी हल्की की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2020 की एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, पेन्शन पहचान पत्र, पीपीओ ग्राम पंचायत बडोदिया का प्रमाण पत्र एवं रामफूल पुत्र श्रवण रेवड पुत्र श्रवण का शपथ पत्र मय आधार कार्ड के भिजवाया गया है, जिनमें पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार लोहडया व रामनाथ एक व्यक्ति है उक्त नाम से गांव में अन्य कोई व्यक्ति नही है। इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तुत सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामनाथ पुत्र श्रवण मीना अंकित है केवल राजस्व जमाबन्दी मे ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दिया गया जो प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2020 एवं सरपंच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं सहाखातेदार रामफूल पुत्र श्रवण एवं रेवड पुत्र श्रवण मीना के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत तहसीलदार की रिपोर्ट सरपंच प्रमाण पत्र एवं सहखातेदार के शपथ पत्र एवं चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन्शन पी.पी.ओ के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील कोटखावदा की जमाबन्दी के खाता संख्या 53 व खेडा जगन्नाथपुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 18, 22, 25, 44, 56 एवं बाढ मुरलीपुरा की जमाबंदी के खाता संख्या 42 में अंकित प्रार्थी का नाम लोहडिया पुत्र श्रवण के स्थान पर रामनाथ उर्फ लोहडिया पुत्र श्रवण जाति मीना शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड ग्राम लक्ष्मीपुरा, खेडाजगन्नाथपुरा एवं बाढ मुरलीपुरा की जमाबन्दी में लोहडया पुत्र श्रवण के स्थान पर रामनाथ उर्फ लोहडया पुत्र श्रवण मीना शुद्ध दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर) उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	